न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 10 / 2020

अनवान :–
1. सोहनलाल पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. बलवीर पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण / सायलान

बनाम्

1. तुलाराम पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री विजयसिह कडवासरा, अभिभाषक, प्रार्थी
श्री अजन्नी कुमार अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक : 22/3/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 161 / 148 के प0न0 374 / 422(46) किला न0 6 / 0.253 ,प0न0 375 / 422(45) किला न0 9 / 0.253 ,10 / 0.253 ,11 / 0.253 ,12 / 0.253 ,17 / 1 की 0.2410 ,18 / 0.253 कुल 1.7590हैक्ट भूमि सोहनलाल सायल न0 1 के कब्जा काश्त की भूमि है।

रोही मोजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 75 / 73 के प0न0 375 / 422(45) किला न0 2 / 0.253 ,3 / 0.253 ,4 / 0.253 ,7 / 0.253 ,8 / 0.253 ,13 / 0.253, 14 / 1 की 0.240कुल 1.7580हैक्ट भूमि बलवीर सायल न0 2 के कब्जा काश्त की भूमि है।

रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 37 / 41 के प0न0 375 / 422(45) के किला न0 14 / 2 की 0.0130 ,17 / 2 की 0.0120 ,19 / 0.253 ,20 / 0.253 ,21 / 0.253 , 22 / 0.253 ,23 / 0.253 ,24 / 0.253 ,25 / 0.253 कुल 1.7960हैक्ट भूमि गैर सायल न0 1 तुलाराम के नाम से दर्ज है।

सायलान एवं गैरसायल एक ही परिवार के सदस्य है एवं एक दुसरे के चिपते हुए खेत पडोसी है सायलान परलीका बरवाली रास्ते से होकर गैरसायल के मु0न0 45 किला न0 25 ,24 ,23 ,22 ,21 के दक्षिण दिशा होकर अपने खेत में प्रवेश करता है यही रास्ता सुविधाजनक एवं नजदीकी रास्ता है इसके अलावा सायलान को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई रास्ता नही है।

पूर्व में दर्ज किया गया रास्ता गलत तौर से दर्ज किया गया है सायलान अपनी खातेदारी भूमि में गैरसायल की भूमि मु0न0 45 के किला न0 24 के पूर्वी तरफ दक्षिण में उत्तर से होकर अपनी खातेदारी भूमि में पहुचता है यही रास्ता सुविधाजनक है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

सायलान को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है एवं प्रश्नगत रास्ता भी राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है जिससे गैरसायल कभी भी रास्ता को बन्द कर सकते है जिससे सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होगा।

सायल उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है एवं रास्ते के बदले में भूमि या डीएलसी दर से राशि देने के लिये भी तैयार है प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार करवाने का अधिकारी है

सायल ने गैरसायल को कई मर्तबा कहा की उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकार करवा ले तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अत सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 13 एनटीआर के प0न0 375/422(45) किला न0 24 के पूर्वी किनोर दक्षिण में उत्तर 1 बिश्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायलान को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये मु0न0 45 के किला न0 23 के पश्चिम किनोर से दक्षिण से उत्तर रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल जबाब भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

गैरसायल न0 2 की और पेरोकार राज उपस्थित आकर निवेदन किया की सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर राजय हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ताा स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायलान के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है गैरसायल न0 1 ने अपनी खातेदारी भूमि के मु0न0 45 के किला न0 23 के पश्चिमी किनारे से दक्षिण से उत्तर रास्ता देने में सहमत है गेरसायल न0 1 के कथनों को सायलान ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि सायलान की भूमि में जाने के लिये गैरसायल जो रास्ता देने के लिये सहमत है वह रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हे पेरोकार राज ने भी रास्ता स्वीकृत करने में किसी प्रकार का ऐतराज नही किया गया है इसप्रकार पक्षकारो की सहमति के आधार पर रास्ता स्वीकार फरमावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

गैरसायल के अधिवक्ता ने भी निवेदन किया की सायल की भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की पक्षकारों की आपसी सहमति से रास्ता स्वीकार किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है एवं एक ही परिवार के सदस्य है सायल अपनी खाातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायल के कथनों गैरसायलान से स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल की भूमि में जाने के लिये मु0न0 45 के किला न0 23 में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जिसे सायलान ने स्वीकार किया गया है अर्थात सायल एवं गैरसायल की रास्ता स्वीकृत करने में सहमति हो चुकी है।

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा के अनुसार गैरसायल द्वारा सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये जा रास्ता दिया जा रहा है वह उचित है जिससे सायलान सहमति भी है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः साायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 13 एनटीआर के प0न0 375/422(45) के किला न0 23 के पश्चिमी किनारे में दक्षिण से उत्तर 1 बिश्वा यानी 0.0130हैक रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में जितनी भूमि आती है अर्थात 0.0130हैक भूमि की प्रार्थी अप्रार्थी को वर्तमान डीएलसी दर से राशि अदा करेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2020 / 251(A)/10

दिनांक 22/03/2021

तहसीलदार,
नोहर

विषय :— स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना—पत्र सं0 01 सन 2020 निर्णय दिनांक

अनवान :—

अनवान :—

1. सोहनलाल पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 बलवीर पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।

—प्रार्थीगण / सायलान

बनाम्

1 तुलाराम पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर।

—अप्रार्थीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 13 एनटीआर के प0न0 375 / 422(45) के किला न0 23 के पश्चिमी किनारे में दक्षिण से उत्तर 1 बिश्वा यानी 0.0130हैक रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में जितनी भूमि आती है अर्थात 0.0130हैक भूमि की प्रार्थी अप्रार्थी को वर्तमान डीएलसी दर से राशि अदा करेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर